न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/37/2025	2025/176	18.02.2025	30.04.2025

1– ताराचन्द पुत्र बोदन,

2– रत्तीराम पुत्र बोदन जाति जाटव निवासीयान ग्राम सिवाना तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

1–रामकिशन पुत्र मंगलियाराम,

2– रतनलाल पुत्र मंगलियाराम (मृतक)

2/1–शकुन्तला पत्नी रतनलाल
2/2–प्रमोद पुत्र स्व0 रतनलाल
2/3–योगेश कुमार पुत्र स्व0 रतनलाल
2/4–प्रशान्त पुत्र स्व0 रतनलाल
2/5–सरोज देवी पुत्री स्व0 रतनलाल
2/6–कुसुम देवी पुत्री स्व0 रतनलाल
3– बद्रीप्रसाद पुत्र मंगलियाराम
4– गुरूदयाल पुत्र मंगलिया
5– राममूर्ति बेवा रामदयाल
6– सतीश पुत्र रामदयाल
7– जगदीश पुत्र रामदयाल
8– जगराम पुत्र रामदयाल
9– सुनीता पुत्री रामदयाल
10–सुमन पुत्री रामदयाल
11–मीना पुत्री रामदयाल जाति हरिजन चमार निवासीगण ग्राम सिवाना खैरथल जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास हाल खैरथल दिनाक 11.03.2011 जिसके द्वारा सनद संख्या पुर्नवास/11/111 आराजी खसरा न0 956 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम सिवाणा तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा का पटटा दिनाक 11.03.2011 को रेस्पोडेन्टान के पक्ष में जारी किया गया गया है, को निरस्त कर काबिल व्यक्ति के पक्ष में कानूनन सनद जारी किये जाने बाबत।

उपस्थित–

01. श्री जर्नादन शर्मा –वकील अपीलान्ट
02. श्री महेन्द्र सिंह यादव –वकील रेस्पोडेन्टान

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास हाल खैरथल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.03.2011 जिसके द्वारा खसरा न0 956 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम सिवाणा तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा का पटटा संख्या पुर्नवास/11/111 दिनाक 11.03.2011 को रेस्पोडेन्टान के पक्ष में जारी किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 956 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम सिवाणा तहसील किशनगढबास हाल खैरथल तहत अदालत द्वारा सनद रेस्पोडेन्टान के पक्ष में जारी की गयी है, वह न्यायिक प्रकिया के विरूद्व जारी की गयी है। आराजी खसरा न0 956 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम सिवाणा तहसील किशनगढबास हाल खैरथल पर अपीलान्टान का कब्जा पूर्वजो के समय से ही चला आ रहा है। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में किया हुआ है। तहत अदालत द्वारा तथ्य को बिना गौर किये ही सनद रेस्पोडेन्टान के पक्ष में जारी की गयी है। रेस्पोडेन्टान द्वारा मिन अपीलान्टान के विरूद्व धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र तहत अदालत के यहॉ प्रस्तुत किया हुआ है, जो विचाराधीन है, उक्त तथ्य से जाहिर है, कि रेस्पोडेन्टान का मौके पर कब्जा नही है। इस तथ्य पर भी तहत अदालत ने गौर नही किया और रेस्पोडेन्टान के पक्ष में सनद जारी कर दी गयी। तहत अदालत द्वारा सनद जारी करते समय पटवारी हल्का द्वारा मौके के विपरित रिपोर्ट प्रस्तुत की है, पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट में रेस्पोडेन्टान का कब्जा होना अंकित किया गया है, जबकि रेस्पोडेन्टान स्वंय की कार्यवाही धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में इस तथ्य को स्वीकार करते है, कि अपीलान्टान का मौके पर कब्जा है, इस प्रकार पटवारी हल्का की गलत मौका रिपोट्र के आधार पर सनद जारी की गयी है। तहत अदालत द्वारा सनद जारी करते समय अपीलान्टान जिनका राजस्व रिकार्ड में अंकन है, को कोई व्यक्तिगत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया, अर्थात अपीलान्टान को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया, बिना अपीलान्टान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये सनद जारी की गयी है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा पुर्नवास की आराजी मानते हुऐ सनद जारी की गयी है, जबकि कस्टोडियन के संम्बन्ध में सभी नियम कानून रिपिल किये जा चुके है। तहसीलदार कम ऑफिसर के नाम से कोई पद वर्तमान में सर्जित नही है। आराजी खसरा न0 956 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम सिवाणा तहसील किशनगढबास हाल खैरथल से रेस्पोडेन्टान का कोई संम्बन्ध वो वास्ता नही है, इसके विपरित अपीलान्टान उक्त आराजी पर काबिज है, इस लिए काबिज व्यक्ति के पक्ष में सनद जारी की जावे। रेस्पोडेन्टान उक्त आराजी के न तो पटटेदार है, तथा न ही गैर खातेदार है। इस प्रकार तहत अदालत द्वारा कुल कार्यवाही कानून के विपरित एंव राजस्व रिकार्ड की अनदेखी कर सनद जारी की गयी है। अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 11.03.2011 खसरा न0 956 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम सिवाणा तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा सनद पटटा संख्या पुर्नवास/11/111 दिनाक 11.03.2011 रेस्पोडेन्टान के पक्ष में जारी किया गया है को निरस्त कर अपीलान्टान के पक्ष में जारी किया जावे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 11.03.2011 की जानकारी मिन अपीलान्टान को पूर्व में नही थी, पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्टान को दिनाक 08.07.2019 को उस समय हुई जब रेस्पोडेन्टान द्वारा अपीलान्टान की कब्जे काश्त में मजाहमत करने की बेजा कोशिश की गयी। तथा जाहिर किया गया कि उक्त खसरा नम्बर की सनद तहसीलदार द्वारा हमारे पक्ष में जारी किया जा चुका है। प्रथम जानकारी की दिनाक 08.07.2019 को होने पर मिन अपीलान्टान ने तहसील कार्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त कर दिनाक 08.07.2019 को नकल के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनाक 22.07.2019 को तैयार होकर प्राप्त हुई इस प्रकार प्रथम जानकारी की दिनाक 08.07.2019 अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की गयी। दिनाक 11.03.2011 से दिनाक 08.07.2019 तक का समय जानकारी के अभाव में काबिल माफी है, मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलान्टान द्वारा माननीय न्यायालयो की निम्नलिखत नजिरे पेश की गयी। कमशः आर.बी.जे. 2023 पेज संख्या 667, आर.बी.जे. 2023 पेज संख्या 644

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज.)

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड के आराजी सदैव से हमारे पूर्वजो के नाम व कब्जे काश्त की रही है, जिसके आधार पर पटटा संख्या 900 दिनाक 31.05.1959 को जारी किया गया है। इसी के आधार पर तहत अदालत के समक्ष दिनाक 11.06.2010 को रेस्पोडेन्टान कमशः रामकिशन, रामदयाल, रतनलाल, बद्रीप्रसाद, गुरूदयाल पिसरान मगलीयां जाति चमार निवासी सिवाणा के द्वारा एक संयुक्त आवेदन पत्र दिनाक 11.06.2010 को निष्क्रान्त कृषि भूमि (गैर खातेदारी) की सनद पटटा प्राप्त करने हेतु पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी तलब की गयी। रिपोर्ट पटवारी हल्का ने रिपोर्ट दिनाक 08.02.2011 अंकित की है, कि ग्राम सिवाणा की आराजी खसरा नम्बरान 1023/0.06, 1024/0.10, 1026/0.19, 1028/0.23, 1030/0.38, 1031/0.31, 956/0.30 किता 7/1.52 है0 में हिस्सा मुत0 जमा0 व आराजी खसरा न0 435/023 में से 0.04 गैर खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि पर प्रार्थीयान का मौके पर कब्जा काश्त है। कोई विवाद नही है। पूर्व में पटटा जारी नही हुआ है। प्रकरण में पेश किये गये राजस्व रिकार्ड लोकल पटटा, मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी सम्वत 2017 से 2020 से हाल आराजी खसरा न0 956/0.30, 1012/0.32 किता 2/0.62 पूर्व व 435 मिन रकबा 0.04 का सही मिलान पाये जाने पर मौके पर कोई विवाद/स्थगन आदेश/कब्जे के बाबत जानकारी प्राप्त की गयी। मुताबिक रिपोर्ट के आवेदनकर्ताओ का मौके कब्जा होना कोई विवाद/स्थगन आदेश न होने के कारण राशि जमा कराये जाने के आदेश दिये गये। ग्राम सिवाणा की आराजी खसरा न0 956/0.30 ,1012/0.32 किता 2 करबा 0.62 पूर्ण एवं आराजी खसरा न0 435 मिन रकबा 0.04 भूमि की 450 रूपये एकड की दर से कीमत भूमि 732 रूपये, ब्याज 732 कुल 1464 रूपये वसूल योग्य पाये जाने पर राशि जरिर्ये चालान संख्या 945 दिनाक 08.03.2011 से राशि 1464 रूपये जमा कोष करायी गयी। दिनाक 09.03.2011 को प्रार्थीयान रामकिशन, रतनलाल, बद्रीप्रसाद, गुरूदयाल पुत्रान मंगलियाराम व राममूर्ति बेवा रामदयाल, कमल, सतीश, जगदीश, जगराम पुत्रान व सुनिता, सुमन, मीना, पुत्रीयान रामदयाल निवासी सिवाणा तहसील किशनगढबास हाल खैरथल की आराजी खसरा न0 956/0.30 ,1012/0.32, 435 मिन रकबा 0.23 में से रकबा 0.04 है0 भूमि की सनद जारी करने हेतु नोटिस उज्रदारी जारी किया गया। कोई उज्रदारी पेश नही होने पर खातेदारी सनद जारी किये जाने के आदेश जारी किये गये। तथा पटवारी हल्का पाटन मेवान को अहकाम जारी कर उक्त आराजी का सनद पटटा भर कर पेश करने हेतु आदेशित किया गया। दिनाक 11.03.2011 को सनद संख्या पुनर्वास/11/111 दिनाक 11.03.2011 आवेदनकर्ताओ के पक्ष में जारी किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील में खसरा न0 956 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम सिवाणा तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा के बाबत अपील पेश की गयी है, निराधार है, अपीलान्ट का कभी कब्जा नही रहा है, अपीलान्ट द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2032 का उल्लेख कर वर्णित आराजी पर कब्जे बाबत साक्ष्य पेश किया गया है, जिसमें केवल बकाश्त शिकमी की हैसियत से काबिज है, बकाश्त शिकमी को खातेदारी अधिकार नही मिल सकते है। वर्तमान में खसरा न0 956 में अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है, जिनके विरूद्व धारा 183 बी के तहत न्यायालय तहसीलदार के यहा प्रकरण संख्या 02/2019 उनवान रामकिशन बनाम रतीराम दर्ज कराया है जिसकी विधिवत कार्यवाही विचाराधीन है, लेकिन वक्त पटटे जारी करने से लगातार हमारा ही कब्जे काश्त में ही चली आ रही थी। जिसकी रिपोर्ट/जॉच प्राप्त कर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही की गयी है, वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 में विलम्ब का कोई युक्ति युक्त कारण अंकित नही किया गया है, पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को सदैव से ही रही है, क्योकि अपीलान्ट गांव में ही निवास करते है, कहीं बाहर नहीं रहते है। जानकारी हाने के बावजूद भी मनघडन्त तथ्य अंकित किये हैं, विलम्ब के मामले में दिन प्रतिदिन का विवरण मय साक्ष्य के पेश करने का प्रावधान है, किन्तु वकील अपीलान्टान द्वारा विलम्ब का कोई वैधानिक दस्तावेज पेश नही किया गया है, अपील अपीलान्टान विलम्ब से पेश की गयी है, अपील अपीलान्ट दफा 5 के बिन्दू पर ही खारिज की जावे। अपील अपीलान्ट सारहीन है, अपने कथन की पुष्टि में कोई वैधानिक दस्तावेज पेश नही किये है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। विद्वान वकील

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

रेस्पोडेन्टान ने अपने कथन की पुष्टि में आर.आर.टी.(1) 2018 पेज संख्या 299, आर.आर.टी.(1) 2025 पेज संख्या 372

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकुलाय की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनाक 11.03.2011 के विरूद्व दिनाक 29.07.2019 को पेश की गयी है, जो करीब 8 वर्ष 4 माह 20 दिन पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। जो अत्यधिक विलम्ब से पेश की गयी है, विलम्ब के मामलो में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। हम अपील का निस्तारण केवल दफा 5 को आधार मानकर निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है, हम अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित समझते है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। विद्वान वकील अपीलान्ट का कथन है, कि आराजी खसरा न0 956 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम सिवाणा तहसील किशनगढबास हाल खैरथल तहत अदालत द्वारा सनद रेस्पोडेन्टान के पक्ष में जारी की गयी है, वह न्यायिक प्रकिया के विरूद्व जारी की गयी है। आराजी पर अपीलान्टान का कब्जा पूर्वजो के समय से ही चला आ रहा है। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में किया हुआ है। रेस्पोडेन्टान द्वारा मिन अपीलान्टान के विरूद्व धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया हुआ है, जो विचाराधीन है, उक्त तथ्य से जाहिर है, कि रेस्पोडेन्टान का मौके पर कब्जा नही है। तहत अदालत ने गौर नही किया और रेस्पोडेन्टान के पक्ष में सनद जारी कर दी गयी। तहत अदालत द्वारा सनद जारी करते समय पटवारी हल्का द्वारा मौके के विपरित रिपोर्ट प्रस्तुत की है, विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है, कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड के आराजी सदैव से रेस्पोडेन्टान के पूर्वजो के नाम व कब्जे काश्त की रही है, जिसके आधार पर लोकल पटटा संख्या 900 दिनाक 31.05.1959 को जारी किया गया है, इसी के आधार पर तहत अदालत के समक्ष दिनाक 11.06.2010 को रेस्पोडेन्टान द्वारा एक संयुक्त आवेदन पत्र दिनाक 11.06.2010 को निष्क्रान्त कृषि भूमि (गैर खातेदारी) की सनद पटटा प्राप्त करने हेतु पेश किया जिसकी जॉच पूर्ण कर दिनाक 11.03.2011 को सनद संख्या पुनर्वास/11/111 दिनाक 11.03.2011 आवेदनकर्ताओ के पक्ष में जारी किया गया है। तहत पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहत अदालत द्वारा आवेदनकताओ के आवेदन पत्र पर विधिवत कार्यवाही कर विधिवत निर्णय पारित किया गया है, अपीलान्ट द्वारा अपील में खसरा न0 956 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम सिवाणा तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा के बाबत अपील पेश की गयी है, निराधार है, अपीलान्ट का कभी कब्जा नही रहा है, अपीलान्ट द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2032 का उल्लेख कर वर्णित आराजी पर कब्जे बाबत साक्ष्य पेश किया गया है, जिसमें केवल बकाश्त शिकमी की हैसियत से काबिज है, बकाश्त शिकमी को खातेदारी अधिकार नही मिल सकते है। वर्तमान में खसरा न0 956 में अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है, जिनके विरूद्व धारा 183 बी के तहत न्यायालय तहसीलदार के यहा प्रकरण संख्या 02/2019 उनवान रामकिशन बनाम रतीराम दर्ज कराया है। जिसकी विधिवत कार्यवाही विचाराधीन है, लेकिन वक्त पटटे जारी करते से लगातार रेस्पोडेन्टान के ही कब्जे काश्त में ही चली आ रही थी। जिसकी रिपोर्ट/जॉच प्राप्त कर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही की गयी है, वकील अपीलान्टान द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है, कि वक्त पटटा जारी करते समय अपीलान्ट का खसरा न0 956 में कब्जा था, यदि कब्जा होता तो उज्रदारी नोटिस जारी के समय अपना उज्र तहत अदालत के समक्ष पेश करते तहत अदालत के समक्ष धारा 183 का प्रकरण वर्ष 2019 में दर्ज हुआ है। इससे स्पष्ट है, कि आराजी खसरा न0 956 पर वक्त पटटा जारी करने के समय कोई कब्जा नही था। अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सनद संख्या पुनर्वास/11/111 दिनाक 11.03.2011 वाके ग्राम सिवाणा तहसील किशनगढबास हाल खैरथल प्रार्थीयान रामकिशन, रतनलाल, बद्रीप्रसाद, गुरूदयाल पुत्रान

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

मंगलियाराम व राममूर्ति बेवा रामदयाल, कमल, सतीश, जगदीश, जगराम पुत्रान व सुनिता, सुमन, मीना, पुत्रीयान रामदयाल निवासी सिवाणा तहसील किशनगढबास हाल खैरथल यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास हाल खैरथल को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलेक्टर, खैरथल–तिजारा
(राज0)

जिला कलेक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज.)